Transform Rural India

हमारा नल, हमारा जल, हमारी जिम्मेदारी

ग्रामीण नलजल योजना प्रबंधन

ग्राम पंचायतों हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शिका

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश पंचायत नल-जल योजना संचालन एवं संधारण मार्गदर्शिका

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति – एक संकल्प

ग्रामीण विकास और सामुदायिक स्वास्थ्य का सबसे मुख्य आधार हर घर तक स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की पहुंच है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उनके घर पर ही पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नल-जल योजनाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण घर में घरेलू नल कनेक्शन (Tap Connection) प्रदान किए जा रहे हैं। इससे न केवल हमारी ग्रामीण बहनों और परिवारों को पेयजल एकत्र करने के कठिन परिश्रम और दूर-दराज़ जाने से मुक्ति मिली है, बल्कि उनके जीवन स्तर और स्वास्थ्य में भी गुणात्मक सुधार आया है।

नियम एवं नीति की आवश्यकता

नल-जल योजनाओं की दीर्घकालिक सफलता और निर्बाध संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि उनका दैनिक संचालन (Operation) तथा रखरखाव व संधारण (Maintenance) कितना सुचारू और व्यवस्थित है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए "मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नल-जल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026" को अधिसूचित किया गया है।

ये नियम निम्नलिखित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं:

1. स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्व: ग्राम पंचायत, पानी समिति तथा वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटर्स के अधिकार, कार्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

2. जल गुणवत्ता नियंत्रण (Water Quality Control): फील्ड टेस्ट किट (FTK) के माध्यम से नियमित अंतराल पर पेयजल की गुणवत्ता जांच एवं निगरानी की स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है।

3. संधारण एवं वित्तीय पारदर्शिता: लघु व वृहद मरम्मत कार्य, मासिक जल प्रभार (Tariff) का निर्धारण तथा 'पंचायत दर्पण' पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी जल प्रभार संग्रहण की व्यवस्था की गई है।

पंचायतों एवं समुदाय के लिए उपयोगिता

यह मार्गदर्शिका (Handbook) केवल नियमों का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह ग्राम पंचायतों और ग्रामीण समुदाय के लिए एक व्यावहारिक निर्देशिका है:

1. ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण: ग्राम पंचायतों को स्वयं अपनी नल-जल योजनाओं का संचालन करने, संधारण हेतु बजट नियोजित करने तथा स्थानीय स्तर पर त्वरित मरम्मत कराने के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं।

2. सामुदायिक स्वामित्व (Community Ownership): 'पानी समिति' के माध्यम से गांव के नागरिक स्वयं पेयजल व्यवस्था के प्रबंधन एवं देखरेख में भागीदार बनेंगे, जिससे योजना में स्थायित्व आएगा।

3. वित्तीय आत्मनिर्भरता: जल प्रभार की नियमित वसूली और ई-ग्राम स्वराज / पंचायत दर्पण पोर्टल के उपयोग से पारदर्शी व्यवस्था निर्मित होगी, जिससे ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के संसाधनों से योजना को दीर्घकाल तक आत्मनिर्भर होकर चला सकेंगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मार्गदर्शिका समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, पानी समितियों और वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटरों के लिए एक अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक पथ-प्रदर्शन का कार्य करेगी।

आइए, हम सब मिलकर इस व्यवस्था को सफल बनाएं और प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल सुरक्षा प्रदान करने के संकल्प को पूर्ण करें।

छोटे सिंह (IAS)
आयुक्त सह संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय-सूची

भाग 1	योजना एक नजर में	6
भाग 2	हितधारक एवं उनकी जिम्मेदारियां	11
भाग 3	परिचालन संबंधी विवरण	19
भाग 4	नियोजन एवं वित्तीय व्यवस्था	24
भाग 5	डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग	27
भाग 6	व्यावहारिक कार्य-साधन एवं संदर्भ सामग्री	28

भाग 1

योजना एक नजर में

नल जल प्रबंधन का आशय है -- जल आपूर्ति को वर्ष भर सुचारु रूप से संचालित रखना। यह एक सतत चक्र है, जो कभी बाधित नहीं होता:

ध्यान रखें - नल जल प्रबंधन चक्र का कोई कदम न छोड़ें

नल जल प्रबंधन चक्र का प्रत्येक चरण अगले चरण को सुदृढ़ करता है। नियमित एवं स्वच्छ जल मिलने पर उपभोक्ता जल प्रभार का भुगतान करने हेतु प्रेरित होते हैं; इससे प्राप्त राजस्व से समय पर मरम्मत एवं देखभाल संभव होती है, जो सेवा की गुणवत्ता बनाए रखती है और पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करती है।

पूरे हैंडबुक का सार -- तीन मुख्य बिंदु

1. नल योजना ग्राम की अपनी योजना है -- इसका संचालन, संधारण एवं वित्तीय व्यवस्था ग्राम पंचायत तथा समस्त ग्रामवासियों का उत्तरदायित्व है।
2. यह मिल-जुलकर संचालित होती है -- पंचायत, पानी समिति, ऑपरेटर और उपभोक्ता, इन चारों की भूमिका अपरिहार्य है।
3. नियमित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक है -- योजना के निरंतर संचालन एवं संधारण हेतु व्यय अपेक्षित है, जो मुख्यतः जल प्रभार से पूरा होता है; बिल वसूली बाधित होने पर योजना का संचालन बाधित होगा; "अतः प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा समय पर जल प्रभार का भुगतान अनिवार्य है।

योजना का स्वरुप एवं क्रियान्वयन

1 नल जल योजना:

ग्रामीण नलजल योजना का उद्देश्य है -- गांव के हर घर तक, पाइप के जरिए, नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना; रोज, तय समय पर और पर्याप्त मात्रा में।

यहां यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि योजना का वास्तविक उद्देश्य केवल पाइप लाइन बिछाना नहीं, अपितु वर्षों तक उस नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित रखना है। टंकी का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाना योजना का आधा भाग है; जल आपूर्ति को निरंतर क्रियाशील रखना ही वास्तविक एवं सतत कार्य है।

2 स्रोत से नल तक जल आपूर्ति की व्यवस्था की जानकारी

योजना के तहत नल तक पानी पहुंचाने का कार्य सम्पादित करने की प्रक्रिया में कई हिस्से मिलकर काम करते हैं। अतः सभी हिस्सों के विषय में जानकारी रखना, इन्हें समझना तथा खराबी का पता लगाने और आवश्यकतानुसार सही व्यक्ति को बुलाने के लिए इसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

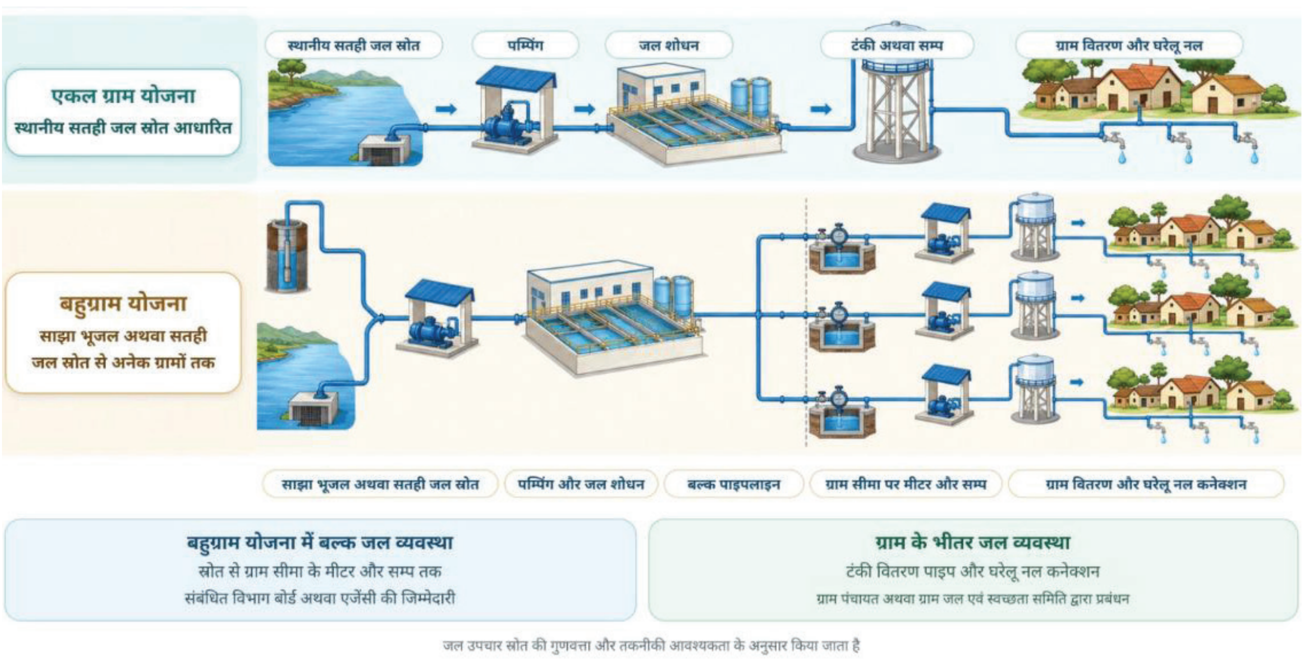

नल जल योजना दो प्रकार की हो सकती है:

एकल जल प्रदाय योजना (Single Village Scheme -- SVS)

- एक अथवा कुछ स्थानीय स्रोतों (नलकूप/बोरवेल आदि) से एकल गांव को जल आपूर्ति।
- स्रोत, शुद्धिकरण, भंडारण, वितरण एवं संपूर्ण संचालन-संधारण प्रायः ग्राम पंचायत स्वयं करती है।
- ढांचा अपेक्षाकृत छोटा एवं सरल; निर्णय तथा मरम्मत ग्राम स्तर पर ही की जाती है।

समूह जल प्रदाय योजना/ मल्टी विलेज स्कीम:

- स्रोत से गांव की सीमा तक पानी लाना और मुख्य ढांचे (हेडवर्क्स) का संचालन-संधारण जल निगम/PHE करेगा।
- गांव के अंदर की पाइप लाइन (आंतरिक वितरण प्रणाली) का प्रबंधन ग्राम पंचायत करेगी।

संचालन, संधारण और प्रबंधन क्यों जरूरी है

नियमित जल प्रभार, समय पर देखभाल और पारदर्शी प्रबंधन से ही गांव में निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

पूरे चक्र को तीन शब्दों में समेटा जा सकता है। इन्हें समझ लेना पूरे हैंडबुक को समझने की कुंजी है:

पूरे चक्र को तीन शब्दों में समेटा जा सकता है। इन्हें समझ लेना पूरे हैंडबुक को समझने की कुंजी है:

तीन कार्य	गांव में क्या करना है
संचालन (Operation)	प्रतिदिन पानी की आपूर्ति - पम्प चलाना, वॉल्व सही समय पर खोलना-बंद करना, हर मोहल्ले को तय समय पर जलापूर्ति करना
संधारण (Maintenance)	संबंधित परिसंपत्तियों एवं उपकरणों का नियमित रख रखाव - पाइपलाइन के रिसाव की समय पर मरम्मत, टंकी की सफाई, पम्प-मोटर की देखभाल और मरम्मत।
प्रबंधन (Management)	सुचारु प्रबंधन - जल प्रभार का निर्धारण एवं नियमित वसूली, प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग, आय-व्यय का अभिलेख संधारण तथा ग्राम पानी समिति की बैठकों, निर्णयों और उत्तरदायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करना।

नियमित देखभाल क्यों आवश्यक है?

नियमित देखभाल न होने पर पम्प-मोटर खराब हो सकते हैं, पाइपलाइन से पानी का रिसाव हो सकता है और टंकी की सफाई न होने से जल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। समय पर मरम्मत न होने से छोटी खराबी बड़ी समस्या, पानी का अपव्यय और अधिक खर्च का कारण बनती है।

जल प्रभार की वसूली क्यों जरूरी है?

जलापूर्ति योजना के लिए बिजली बिल, पम्प चालक का मानदेय, मरम्मत और पुर्जों पर नियमित खर्च होता है। जल प्रभार की वसूली न होने पर योजना का संचालन बाधित हो सकता है और जलापूर्ति बंद होने की स्थिति बन सकती है।

अब यह योजना किसकी है? - गांव की अपनी जिम्मेदारी

योजना की जिम्मेदारी किसकी है?

जलापूर्ति योजना पूर्ण होने के बाद उसका संचालन एवं रखरखाव ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाता है। इसके पश्चात योजना को नियमित रूप से चलाना, सुरक्षित रखना और आवश्यकतानुसार सुधार करना ग्राम पंचायत तथा ग्राम समुदाय की साझा जिम्मेदारी है।

- संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था ग्राम पंचायत के दायित्वों में शामिल है। इसलिए योजना के संचालन में पंचायत की प्रमुख भूमिका होती है।
- स्थानीय स्तर की समस्याओं, जैसे पाइपलाइन में रिसाव या जलापूर्ति बाधित होना, का समाधान ग्राम पंचायत अधिक शीघ्रता से कर सकती है।
- योजना के प्रभावी संचालन के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा **मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन-संधारण एवं प्रबंधन) नियम,** 2026 निर्धारित किए गए हैं। इनमें जल प्रभार निर्धारण, मरम्मत, जल समिति के गठन तथा आवश्यक वित्तीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

भाग 2

हितधारक एवं उनकी जिम्मेदारियां

हितधारक मानचित्र -- एक नजर में

नल-जल योजना का संचालन किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत, पानी समिति, पम्प चालक, ग्राम समुदाय तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है।

नल जल प्रबंधन — हितधारक मानचित्र (कौन-कौन शामिल है)

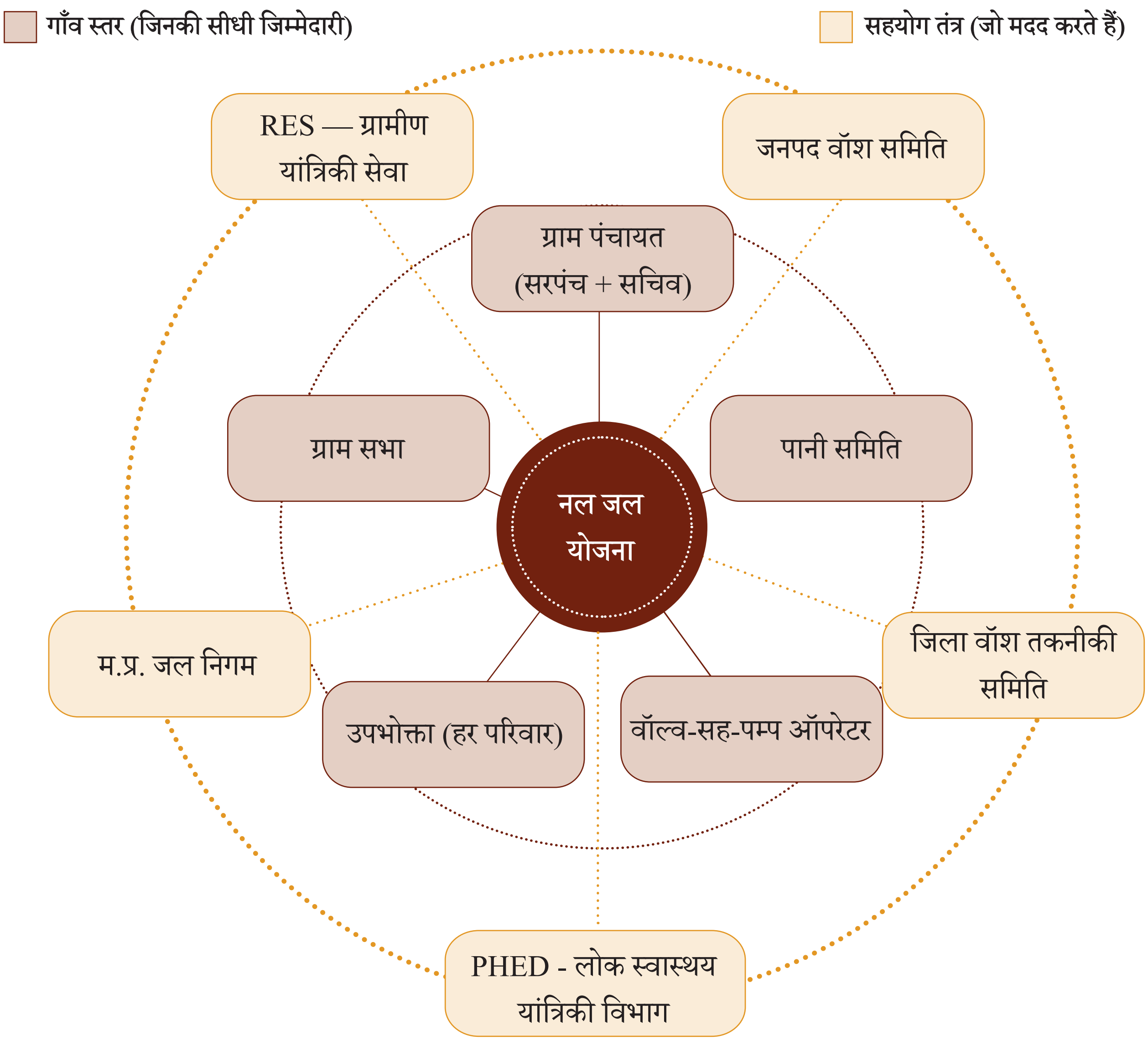

हितधारकों की भूमिका

ग्राम पंचायत स्तर के हितधारकों की भूमिका:

हितधारक	मुख्य भूमिका
ग्राम पंचायत (सरपंच + सचिव)	योजना के समग्र संचालन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसमें निर्धारित समय पर जलापूर्ति, पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जल प्रभार का निर्धारण एवं वसूली, बिजली और बल्क जल बिल का भुगतान, पाइपलाइन एवं उपकरणों की मरम्मत, नए नल कनेक्शन देना तथा पानी समिति के साथ समन्वय करना शामिल है।
पानी समिति	योजना के संचालन, संधारण और निगरानी हेतु गठित मुख्य तंत्र है। समिति जल प्रभार और नए कनेक्शन शुल्क पर सुझाव देती है, जल वितरण एवं गुणवत्ता पर नजर रखती है, शिकायतों के समाधान में सहयोग करती है तथा सभी बसाहटों में समान जलापूर्ति और योजना के प्रति सामुदायिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देती है।
वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटर	निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पम्प और वॉल्व का संचालन करता है, तथा सौंपे गए सामान्य संधारण एवं छोटी मरम्मत के कार्य करता है।
उपभोक्ता (हर परिवार/संस्था)	निर्धारित जल प्रभार का समय पर भुगतान करता है, पानी का सदुपयोग करता है और जलापूर्ति व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाता। रिसाव, अनधिकृत कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता या जलापूर्ति से जुड़ी समस्या की जानकारी ग्राम पंचायत अथवा पानी समिति को देता है।
ग्राम सभा	पानी समिति के गठन की अनुशंसा करती है तथा योजना से जुड़े विषयों पर ग्राम समुदाय की भागीदारी, सुझाव और सामूहिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका निभाती है।

मुख्य संदेश

ग्राम पंचायत निर्णय लेती है और आवश्यक कार्य कराती है; पानी समिति सलाह देती है तथा योजना की निगरानी करती है; ऑपरेटर प्रतिदिन संचालन संबंधी कार्य करता है; और उपभोक्ता समय पर जल प्रभार का भुगतान तथा पानी का सदुपयोग कर योजना को सुचारु बनाए रखते हैं। **योजना की सफलता के लिए इन चारों की सक्रिय और समन्वित भागीदारी आवश्यक है।**

ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां

गांव में नलजल योजना ठीक से चले, इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है:

- हर घर को रोज, तय समय पर पानी दें।
- पानी को गंदगी और कीटाणु से मुक्त रखें - यह BIS:10500 मानक के अनुसार होना चाहिए।
- पानी के दुरुपयोग को रोकें।
- क्षतिग्रस्त / टूटी-फूटी पाइप लाइन या कनेक्शन की मरम्मत कराएं।
- ग्राम के छूटे हुए परिवारों को मांग अनुसार नवीन पेयजल कनेक्शन प्रदान करें |
- जल प्रभार (पानी का बिल) तय करें और वसूल करें।
- बिजली का बिल (एकल योजना) और बल्क पानी का बिल (समूह योजना) हर महीने भरें।
- पानी के स्रोत को रिचार्ज करने और पानी बचाने का काम करें।
- गंदे पानी (ग्रे/ब्लैक वॉटर) की निकासी की व्यवस्था करें।
- आपातकाल में भी पानी की आपूर्ति बंद न होने दें।
- टंकी, गार्ड रूम, पाइप लाइन, वॉल्व, हैंडपंप और स्रोत - इन सबकी सुरक्षा और देखभाल करें।

पानी समिति का गठन

समिति कैसे बनाएं

- ग्राम सभा की सलाह पर (PESA क्षेत्र में सभी ग्राम सभाओं की सलाह पर) हर ग्राम पंचायत में एक पानी समिति बनेगी।
- अगर पहले से नल जल योजना के संचालन हेतु कोई समिति है, तो उसे इन्हीं नियमों के अनुसार पुनर्गठन किया जाएगा।
- गठन का आदेश पंचायत सचिव, ग्राम सभा की सलाह और पंचायत की मंजूरी के आधार पर जारी करेंगे।
- समिति का पूरा ब्योरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज करेंगे। समिति बनाने पर कोई आपत्ति हो तो सुनवाई एवं निस्तारण CEO जनपद पंचायत द्वारा की जायेगी।

पानी समिति की संरचना

पदेन सदस्य

- सरपंच - अध्यक्ष
- पंचायत सचिव - सचिव
- ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता - सदस्य

नामांकित सदस्य

- अधिकतम 20 नामांकित सदस्य
- हर वार्ड से एक व्यक्ति - किसी उपभोक्ता परिवार से
- पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि - कुल सदस्यों के 25%
- महिलाएं - कम से कम 50%
- अनुसूचित जाति/जनजाति - पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में
- बिना समुचित कारण एवं सूचना के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित सदस्य को समिति के बहुमत प्रस्ताव पर पंचायत हटा सकती है

कार्यकाल

पानी समिति का कार्यकाल, ग्राम पंचायतों के कार्यकाल के समान होगा।

पानी समिति के मुख्य कार्य

1. नलजल योजना के प्रबंधन और संचालन-संधारण में ग्राम पंचायत को सहयोग देगी। यह अपशिष्ट एवं ग्रे जल के सुरक्षित निपटान में भी मदद करेगी। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि जल गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुसार मिले।
2. बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी - जैसे कनेक्शन, जल वितरण प्रणाली, पम्प, टंकी, बल्क फ्लो मीटर और स्लूइसवॉल्व।
3. लोगों में यह भावना बनाएगी कि नलजल योजना उनकी अपनी है - "यह हमारा है।"
4. सूचना पटल और अन्य माध्यमों से पेयजल आपूर्ति योजना का प्रचार करेगी।
5. तय न्यूनतम राशि से ज्यादा जल प्रभार या नवीन कनेक्शन प्रभार तय करने की सलाह ग्राम पंचायत को दे सकेगी। यह प्रभावी प्रबंधन और संचालन के लिए होगा।
6. 5 से 10 सबसे गरीब परिवारों (अंत्योदय/विधवा/दिव्यांगजन) का मासिक जल प्रभार माफ करने की सलाह दे सकेगी।
7. ज़ोनिंग, समय-सारिणी और वॉल्व संचालन में मदद करेगी। इससे सभी गांवों को नियमित जल आपूर्ति मिलेगी।
8. हर बसाहट/मोहल्ले में पानी का बंटवारा साफ और न्यायसंगत बनाने में मदद करेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य इलाकों और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। समिति जल आपूर्ति की स्पष्ट और भरोसेमंद समय-सारिणी की सलाह भी देगी, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
9. गैर-अधिकृत पानी इस्तेमाल रोकने में मदद करेगी - जैसे पंप लगाकर या घरेलू कनेक्शन से व्यवसायिक उपयोग।
10. समिति सुनिश्चित करेगी कि पानी साफ हो—गंदगी और कीटाणु से मुक्त, BIS:10500 मानक के अनुसार। समिति नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता जांच करवाएगी |
11. समिति जल रेखा पोर्टल पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जानकारी पर नजर रखेगी। कोई गड़बड़ी दिखे तो रिपोर्ट करेगी।
12. समिति पानी से जुड़ी शिकायतें सुलझाएगी। इसके लिए वह ग्राम पंचायत, जल निगम, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और PHE के साथ मिलकर काम करेगी।

अगर कोई उपभोक्ता पानी का दुरूपयोग करता पाया जाए - जैसे गाड़ी धोना, मवेशी नहलाना, खेती में इस्तेमाल, या टुल्लू पम्प जोड़ना - और जांच में यह साबित हो जाए, तो समिति जुर्माने की सलाह देगी। हर बार कम-से-कम ₹ 100 । महीने में 2 बार से ज्यादा होने पर कम-से-कम ₹ 500 । अगर कोई उपभोक्ता लगातार 3 महीने से बिल नहीं भर रहा, तो समिति उसका पानी रोकने की सलाह ग्राम पंचायत को देगी।

समय पर बिल न भरने वालों पर, समिति बकाया राशि का 5 से 10% जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दे सकेगी। यह जुर्माना कम भी किया जा सकता है, या माफ भी।

पानी समिति- बैठक कैसे करें

- अध्यक्ष (सरपंच) हर 3 महीने में एक बैठक जरूर बुलाएंगे; जरूरत पड़े तो कभी भी बुला सकते हैं।
- बैठक की तारीख, समय और एजेंडा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद सचिव जारी करेंगे।
- कोरम आधे (50%) सदस्यों से होगी; न हो तो बैठक स्थगित होगी। दो बार कोरम न होने पर, तीसरी बैठक बिना कोरम के भी हो सकती है।
- विशेष बैठक - कम से कम 50% सदस्यों के लिखित हस्ताक्षरित आवेदन पर बुलाई जाएगी; सूचना 3 दिन पहले दी जाएगी।
- कार्यवाही रजिस्टर में बैठक का पूरा ब्योरा दर्ज करें; सदस्य, सचिव और अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे।पानी समिति द्वारा बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किये जायेंगे।

विभागीय एवं तकनीकी सहयोग तंत्र

संस्थाएं	भूमिका
उपयंत्री / सहायक यंत्री - जनपद पंचायत / PHE	बृहद मरम्मत की तकनीकी स्वीकृति, कार्य का पर्यवेक्षण
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE)	जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने पर नमूने की प्रयोगशाला जांच (जिला लैब), समूह योजना का हेडवर्क्स
म.प्र. जल निगम	समूह जल प्रदाय योजना में जलस्रोत से ग्राम सीमा तक जल उपलब्धता, हेडवर्क्स का संचालन-संधारण तथा बल्क जल आपूर्ति
जिला वॉश तकनीकी समिति	बृहद मरम्मत के लिए एजेंसियों का सूचीबद्धकरण तथा पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समिति और ऑपरेटरों का प्रशिक्षण
जनपद वॉश तकनीकी समिति	सूचीबद्ध एजेंसियों के कार्यों की निगरानी, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत एवं एजेंसी के बीच विवाद का समाधान तथा सामाजिक अंकेक्षण
जिला / जनपद वॉश समिति	पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों तथा सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा

जिला एवं जनपद स्तर की समितियाँ-

जिला और जनपद स्तर पर वॉश समिति तथा वॉश तकनीकी समिति का प्रावधान किया गया है।

जिला स्तर: जिला वॉश समिति

पदाधिकारी	पद
जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
कार्यपालन यंत्री - ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
कार्यपालन यंत्री - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक - जल निगम	सदस्य
परियोजना अधिकारी - मनरेगा/व्हीबी-जी राम जी	सदस्य
लेखा अधिकारी - जिला पंचायत	सदस्य
जिला वॉश प्रभारी	सदस्य
मुख्य कार्यपालन अधिकारी - जिला पंचायत	सदस्य सचिव

- ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के प्रबंधन, संचालन, संधारण, उन्नयन और विस्तार के लिए नीतिगत एवं प्रशासनिक मार्गदर्शन देगी।

- वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित कर निम्न कार्यों की समीक्षा करेगी-

ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य;

सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य;

पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण विषय।

जिला वॉश तकनीकी समिति

पदाधिकारी	पद
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	अध्यक्ष
कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)	सदस्य सचिव
PHE कार्यपालन यंत्री	सदस्य
जल निगम GM/DGM	सदस्य
VB-G RAM G परियोजना अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत लेखा अधिकारी	सदस्य
जिला वॉश प्रभारी	सदस्य
अन्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य

- ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग देगी तथा कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी।
- बृहद मरम्मत कार्यों के लिए प्रत्येक जनपद में निविदा प्रक्रिया से कम से कम 3 और अधिकतम 5 एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगी।
- सूचीबद्ध एजेंसियों की अधिकृत सूची जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराएगी और पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराएगी।
- एजेंसियों का सूचीबद्धकरण दो वर्ष के लिए करेगी। असंतोषजनक कार्य की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्धता निरस्त कर एजेंसी को दो वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकेगी।
- ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पानी समिति के सदस्यों और पम्प-सह-वॉल्व ऑपरेटरों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेगी।

जनपद स्तर: जनपद वॉश समिति

जनपद स्तर पर भी यही ढांचा है - अध्यक्ष जनपद पंचायत अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं। जनपद वॉश तकनीकी समिति निम्न कामों में मदद करती है:

- ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के प्रबंधन, संचालन, संधारण, उन्नयन और विस्तार के लिए नीतिगत एवं प्रशासनिक मार्गदर्शन देगी।
- वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित कर ग्राम पंचायतों एवं सूचीबद्ध एजेंसियों के कार्यों तथा पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करेगी।

जनपद वॉश तकनीकी समिति

1. ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग देगी तथा कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी।
2. सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी।
3. सूचीबद्ध एजेंसियों और ग्राम पंचायतों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करेगी।
4. यह सुनिश्चित करेगी कि एजेंसियाँ गुणवत्तापूर्ण कार्य करें तथा आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायतों को सहयोग देगी।
5. ग्रामीण नल-जल योजनाओं का नियमित अंतराल पर सामाजिक अंकेक्षण कराएगी।

मुख्य बात: जिला स्तर पर मार्गदर्शन, एजेंसियों का सूचीबद्धकरण और प्रशिक्षण किया जाता है; जबकि जनपद स्तर पर कार्यों की निगरानी, विवादों का समाधान और सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

भाग 3

परिचालन संबंधी विवरण

वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटर

पानी समिति से विमर्श करके ग्राम पंचायत एक वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटर रख सकती है, जो रोज नियमित तौर पर पानी चलाने और छोटी मरम्मत का कार्य करेगा।

पारिश्रमिक (मानदेय) कैसे तय करें

काम के हिसाब से महीने का मानदेय दें, या

जमा किए गए जल प्रभार का एक तय प्रतिशत दें, या

दर अनुसूची (SOR) के अनुसार किये गए कार्य का भुगतान करें।

सलाह: जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से ऑपरेटर को प्रशिक्षण दिलवाएं, ताकि वह काम ठीक से सीख सके।

जल प्रभार निर्धारण एवं एकत्रीकरण (पानी का बिल)

बिल कैसे तय करें

1. ग्राम पंचायतें पानी समिति की अनुशंसा के आधार पर कनेक्शन के प्रकार अनुसार महीने का जल प्रभार तय करेगी।

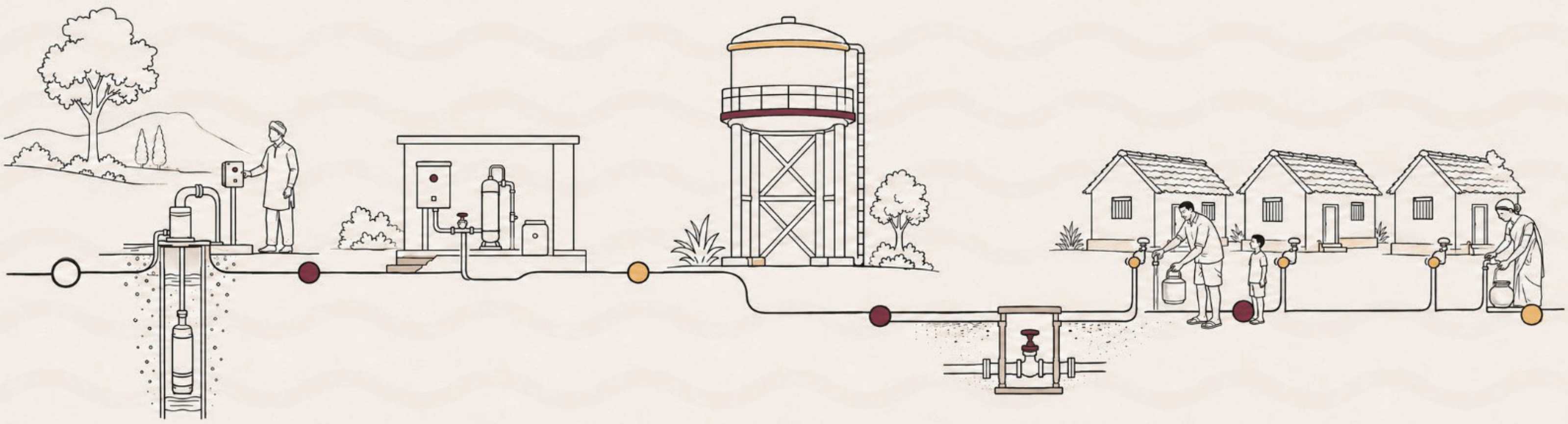

2. **न्यूनतम जल प्रभार:-**

नीचे दी गई दरें न्यूनतम हैं। पानी समिति की सलाह पर पंचायत इससे ज्यादा भी तय कर सकती है।

कनेक्शन प्रकार	न्यूनतम मासिक बिल
घरेलू - जनजातीय विकास खंड	₹ 60 प्रति परिवार / माह
घरेलू - मास्टर प्लान क्षेत्र की पंचायतें	₹ 120 प्रति परिवार / माह
घरेलू - बाकी सभी पंचायतें	₹ 100 प्रति परिवार / माह
सार्वजनिक संस्थान (स्कूल, PHC, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी)	₹ 200 प्रति माह
व्यवसायिक	₹ 500/माह या मात्रा अनुसार
औद्योगिक	मात्रा के अनुसार

ध्यान दीजिये : बल्क जल मीटर लगाने और उसकी देखभाल का खर्च उपभोक्ता खुद देगा।

3) **नया कनेक्शन देते समय न्यूनतम जन सहयोग/कनेक्शन शुल्क लेना है, जो निम्नानुसार है |**

कनेक्शन प्रकार	नया कनेक्शन शुल्क
अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार	₹ 1,000
अन्य परिवार	₹ 2,500
सार्वजनिक संस्थान	₹ 5,000
व्यवसायिक	₹ 8,000
औद्योगिक	₹ 10,000

सलाह: जिन्हें बिना यह राशि लिए पहले ही कनेक्शन दिया जा चुका है, उनसे यह राशि किश्तों में ली जा सकती है। नए कनेक्शन के लिए यह राशि कनेक्शन लेते समय ही जमा करनी होगी।

4) **पंचायत चाहें तो न्यूनतम जल प्रभार से जयादा भी तय कर सकती हैं।**

5) **जब तक पंचायतें खुद कोई राशि तय नहीं करती , तब तक न्यूनतम राशि ही वसूल होगी।**

जल प्रभार का एकत्रीकरण

- पेयजल उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह जल प्रभार का बिल पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से जारी करेगी और इसी पोर्टल के माध्यम से राशी एकत्रित करेगी |
- हर महीने की 10 तारीख तक राशि एकत्र करना पंचायत की जिम्मेदारी है। पंचायत चाहे तो वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटर से जल प्रभार का एकत्रीकरण करवा सकती है I

विलंबित भुगतान, जल का दुरुपयोग, अथवा विवाद की स्थिति में कार्यवाही

बकाया राशि

- बकाया की नियमित वसूली करें; नियमित जल प्रभार न देने पर पानी रोका जा सकता है।
- पानी समिति के प्रस्ताव पर बकाया का 5 से 10% तक जुर्माना, अधिरोपित जुर्माना राशि को कम कर सकेगी या माफ कर सकेगी |
- लगातार 3 महीने बिल न भरने पर, अगले महीने जल आपूर्ति रोका जा सकता है।

पानी का दुरूपयोग

अगर कोई उपभोक्ता पानी दुरूपयोग (गाड़ी धोना, मवेशी नहलाना, खेती में इस्तेमाल करना, या नल कनेक्शन में सीधे टुल्लू पम्प जोड़ना) करता पाया जाए और जांच में यह साबित हो जाए, तो:

- पहली बार पकड़े जाने पर कम-से-कम ₹ 100 जुर्माना।
- महीने में 2 बार से ज्यादा दुरूपयोग करने पर कम-से-कम ₹ 500 जुर्माना।
- पानी समिति की सलाह पर उस उपभोक्ता का जल आपूर्ति रोका जा सकता है।

विवाद की स्थिति में

पानी की आपूर्ति को लेकर कोई विवाद हो, तो पानी समिति के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत बहुमत से फैसला करेगी। यह फैसला अंतिम होगा और सभी को मानना होगा।

नया नल कनेक्शन कैसे दें

नया कनेक्शन लेने के 5 चरण

1. **आवेदन लें** उपभोक्ता से
2. **पाइप व्यास चुनें** घरेलू 15 / संस्थानिक 20 / व्यावसायिक 25 मि.मी.
3. **शुल्क लें (नियम अनुसार)**
4. **कनेक्शन दें** 30 दिन के भीतर
5. **पोर्टल पर दर्ज** पंचायत दर्पण

ध्यान दीजिये : पाइप का व्यास इससे बड़ा न दें - घरेलू 15 मि.मी., सार्वजनिक संस्थान 20 मि.मी., व्यवसायिक/ औद्योगिक 25 मि.मी.। आवेदन के 30 दिनों के भीतर कनेक्शन दें।

कनेक्शन कटवाना और फिर से जुड़वाना

- उपभोक्ता के कहने पर या पंचायत के फैसले पर कनेक्शन काटा जा सकता है - कटवाने का खर्च व बचा बिल उपभोक्ता से लें।
- अगर बाद में कोई फिर से कनेक्शन मांगे, तो नया कनेक्शन शुल्क और पूरा खर्च उससे वसूल करें।

पानी की गुणवत्ता:

पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और निगरानी पंचायत का काम है।

- फील्ड टेस्ट किट (FTK) से नियमित जांच कराएं - pH, TDS, कठोरता (Hardness), गंदलापन (Turbidity) और क्लोरीन (Free Residual Chlorine) की जांच करें।
- जांच रिपोर्ट को शासन के तय पोर्टल पर दर्ज करें।

पानी खराब निकले तो — तुरंत क्या करें

FTK जाँच में पानी मानक अनुसार नहीं

↓

पानी की आपूर्ति तुरंत बंद करें

↓

नमूना जिला जल प्रयोगशाला (PHE) भेजें

↓

समूह योजना हो तो: कार्यालय यंत्री PHE/मंडलाध्यक्ष जल निगम को सूचित करें	यदि भूजल (बोरवेल) योजना हो तो: उपचारी / लालदवा विधि से सुधार करें

↓

पानी मानक अनुसार होने पर ही आपूर्ति दोबारा शुरू करें

समूह जल योजना वाले गांव के लिए खास बातें

जिन गांवों को बड़े स्रोत (नदी आदि) से समूह जल प्रदाय योजना के जरिए पानी मिलता है, वहां ये बातें ध्यान रखें:

- स्रोत से गांव की सीमा तक पानी लाना और मुख्य ढांचे (हेडवर्क्स) का संचालन-संधारण जल निगम/PHE करेगा।
- गांव के अंदर की पाइप लाइन (आंतरिक वितरण प्रणाली) का प्रबंधन ग्राम पंचायत करेगी।
- टंकी (OHT/GSR) के लिए पंचायत, जल निगम/PHE और ठेकेदार - तीनों के बीच एक अनुबंध (त्रिपक्षीय) होगा, जिसमें सबकी जिम्मेदारी साफ लिखी होगी (प्रारूप अनुसूची-6 में है)।
- पंचायत पानी की आपूर्ति की लॉगबुक (रजिस्टर) बनाकर रखेगी।
- बल्क वॉटर मीटर से नापकर पानी दिया जाएगा - बिल प्रति हजार लीटर के हिसाब से बनेगा। दर जल निगम/PHE/ राज्य शासन तय करेगा और हर साल बदल सकता है।
- मीटर रीडिंग का बिल पंचायत दर्पण पोर्टल पर हर महीने की 5 तारीख तक पंचायत को मिलेगा।
- पंचायत को यह बिल हर महीने की 20 तारीख तक पोर्टल से जल निगम/PHE को भरना होगा।

जानकारी: आवासीय स्कूल या बड़ी संस्थाएं, जिन्हें अलग से बल्क मीटर बिल मिलता है, उनसे जल निगम/PHE सीधे बिल वसूल करेगा।

जल स्रोत की सुरक्षा

जिन गांवों को बड़े स्रोत (नदी आदि) से समूह जल प्रदाय योजना के जरिए पानी मिलता है, वहां ये बातें ध्यान रखें:[1]

- पीने के पानी के लिए इस्तेमाल हो रहे सभी स्रोत (नलकूप, एनीकट, बैराज) संरक्षित स्रोत की श्रेणी में माने जायेंगे ।
- अगर कोई इनसे बिना अनुमति पानी निकालते हुए पकड़ा जाए, तो उसके खिलाफ पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के तहत कार्रवाई होगी।
- इसके लिए CEO जनपद पंचायत एक उपयंत्री/सहायक यंत्री को नोडल अधिकारी बनाएंगे, जो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

नुकसान होने पर मरम्मत की जिम्मेदारी

- गांव के अंदर की पाइप लाइन को अगर पंचायत के काम से नुकसान हो, तो पंचायत उसे ठीक कराएगी (उपयंत्री/ सहायक यंत्री की मदद ले सकती है)।
- अगर किसी तीसरे व्यक्ति (तृतीय पक्ष) से नुकसान हो, तो पंचायत उसी से भरपाई कराएगी।
- गांव की सीमा के बाहर या बल्क कनेक्शन तक का नुकसान PHE/जल निगम ठीक कराएगा; पंचायत सहयोग देगी।

ध्यान दीजिये :

अगर कोई पाइप लाइन, टंकी, वॉल्व को जानबूझकर नुकसान पहुंचाए, अतिक्रमण करे, या पानी चुराए, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए भी CEO जनपद पंचायत एक नोडल अधिकारी बनाएंगे।

भाग 4

नियोजन एवं वित्तीय व्यवस्था

नलजल योजना पंचायत के मौजूदा बैंक खाते से ही चलेगा। पैसा इन कामों में खर्च हो सकता है - बिजली बिल, संचालन, संधारण, मरम्मत, रख-रखाव, उन्नयन, विस्तार, लघु व वृहद मरम्मत, पूंजीगत कार्य, बल्क जल प्रभार भुगतान, और मानदेय/स्थापना व्यय।

पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है

पंचायत का बैंक खाता

आमदनी	खर्च
जल प्रभार, कनेक्शन शुल्क, जुर्माना	बिजली बिल / बल्क जल बिल
केंद्रीय वित्त आयोग निधि	छोटी व बड़ी मरम्मत
राज्य वित्त आयोग निधि	ऑपरेटर का मानदेय
VB-GRAM-JI / मनरेगा	नया निर्माण (पूंजीगत)
पंचायत की अपनी आय व अन्य अनुदान	स्रोत रिचार्ज व देखभाल

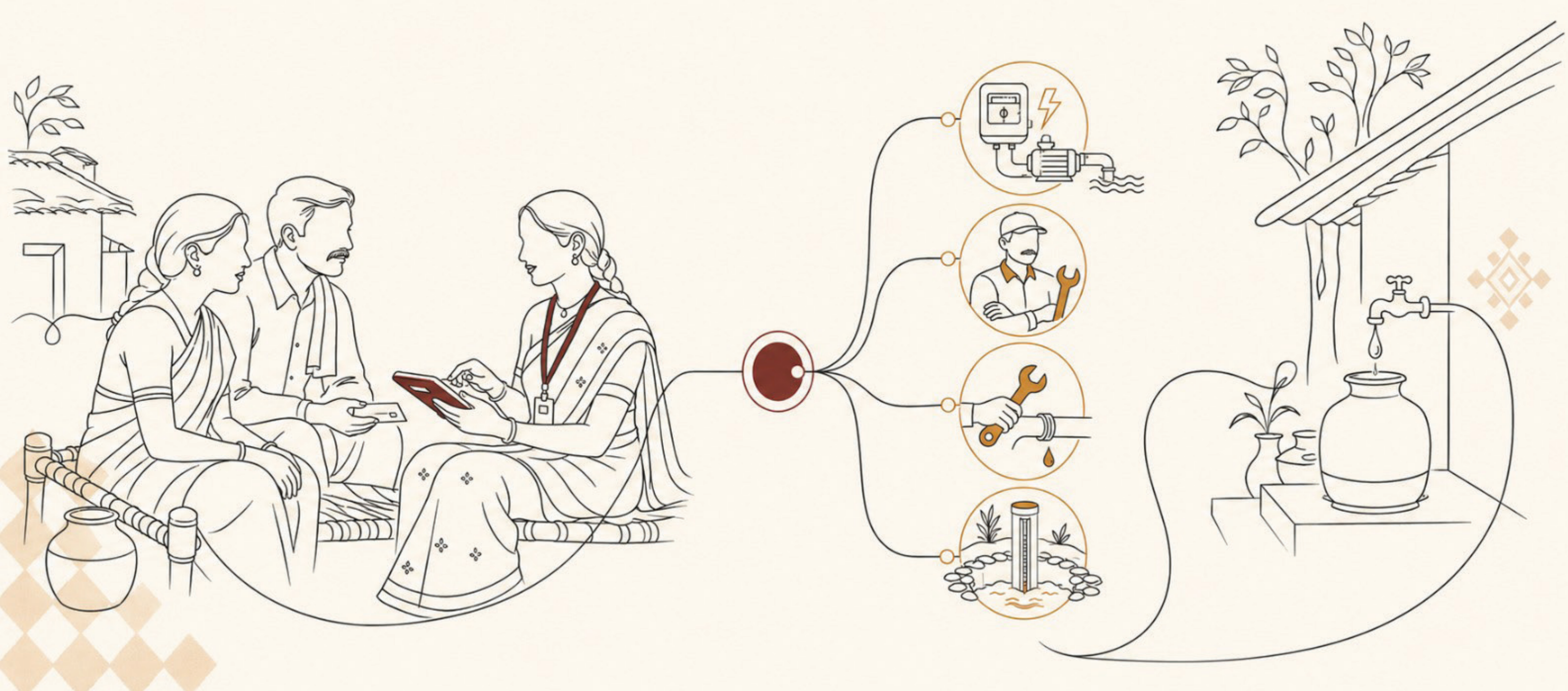

ध्यान दीजिये :

प्रत्येक वर्ष ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (व्हीबी-जी राम जी) पोर्टल पर अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में ये काम जरूर शामिल करें:

- जल आपूर्ति के संचालन, संधारण, रख-रखाव, उन्नयन और विस्तार से जुड़े काम।
- बिगड़ने से पहले होने वाली निवारक मरम्मत (preventive maintenance)।
- जल स्रोत को फिर से जीवित करने और उसकी देखभाल का काम।
- गंदे पानी (ग्रे वाटर) के प्रबंधन के लिए जरूरी संरचनाएं।

मरम्मत कैसे कराएं

मरम्मत कैसे कराएं — निर्णय मार्ग

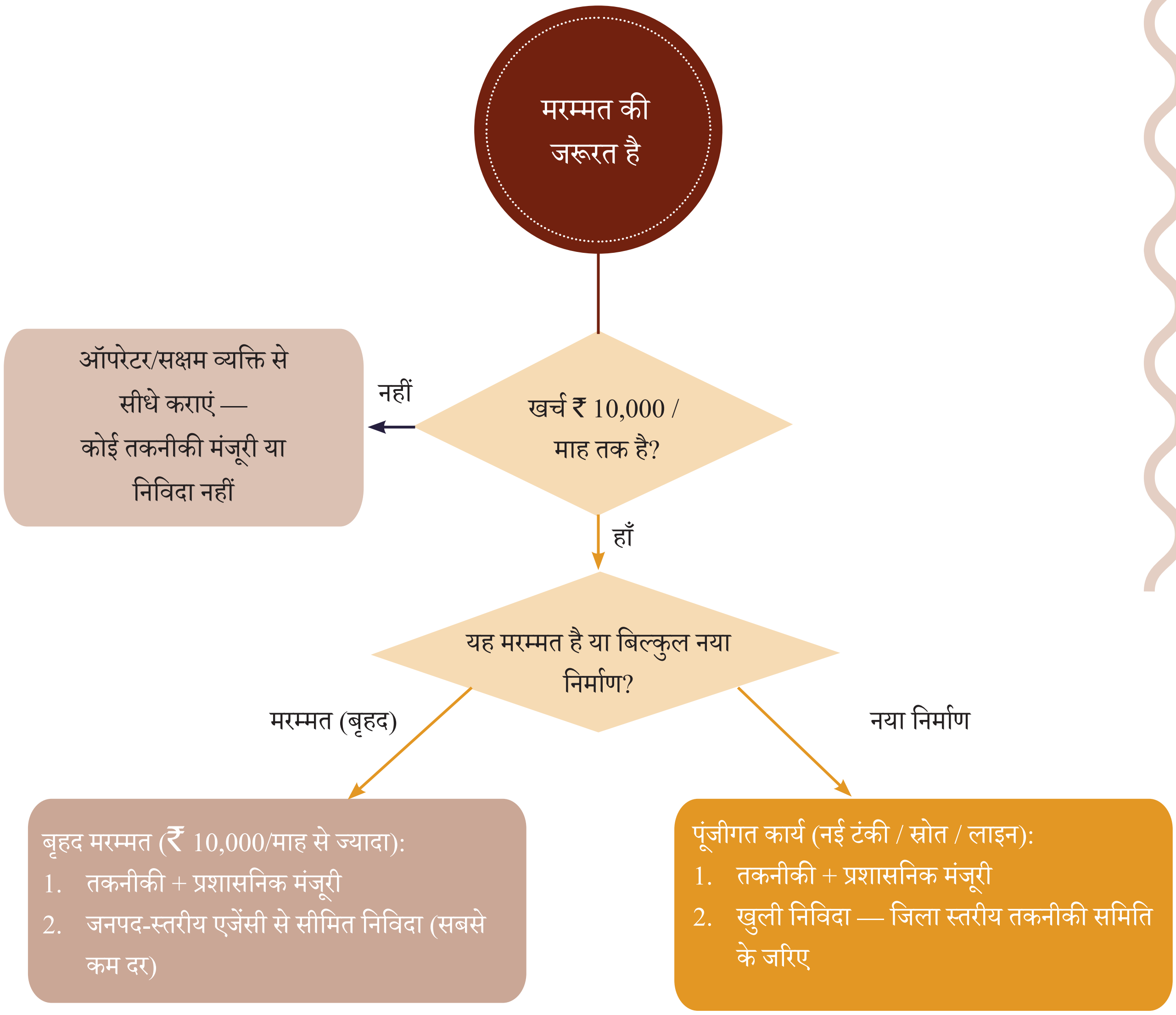

छोटी मरम्मत (₹ 10,000/माह तक)

महीने में ₹ 10,000 तक की तत्काल जरूरी मरम्मत के लिए, पंचायत कोन तो तकनीकी मंजूरी चाहिए, न निविदा।

- वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटर या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति से सीधे काम कराएं और भुगतान करें।
- मरम्मत के औजारों की सूची (अनुसूची-3) और जरूरी सामान की न्यूनतम मात्रा (अनुसूची-4) हमेशा स्टॉक में रखें।
- "ग्राम नलजल योजना के दैनिक कार्य" वाली दर अनुसूची (अनुसूची-5) के अनुसार भुगतान करें।

जानकारी: अनुसूची 3, 4 और 5 {मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नल-जल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026} को विभाग हर दो साल में अपडेट करता है - नई दरें अपने-आप लागू हो जाती हैं।

बड़ी मरम्मत और नए निर्माण कार्य कैसे कराएं

वृहद मरम्मत (₹ 10,000/माह से ज्यादा)

1) पहले तकनीकी मंजूरी - यह उपयंत्री/सहायक यंत्री (जनपद पंचायत/RES/PHE) देंगे।
2) फिर प्रशासकीय मंजूरी - यह ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत विभागीय नियमों अनुसार देंगे।
3) जनपद स्तर पर सूचीबद्ध (एम्पैनल) एजेंसियों को शासकीय ऑनलाइन पोर्टल से सीमित निविदा हेतु बुलाएं। सबसे कम दर देने वाली एजेंसी से काम कराएं।
4) अगर जनपद में कोई सूचीबद्ध एजेंसी न हो, तो खुद खुली निविदा बुलाकर एजेंसी चुनें।
5) काम का निरीक्षण और बिल जांच उपयंत्री/सहायक यंत्री करेंगे; उसके बाद ही पंचायत भुगतान करेगी।

नए पूंजीगत कार्य (नई टंकी, नया स्रोत आदि)

1) तकनीकी और प्रशासकीय मंजूरी के बाद, यह काम खुद या PHE/जल निगम के जरिए कराया जा सकता है।
2) एजेंसी का चुनाव खुली निविदा से होगा - निविदा जिला वॉश तकनीकी समिति शासकीय पोर्टल के जरिए कराएगी।
3) चुनी गई एजेंसी को कार्यादेश दें और अनुबंध पर हस्ताक्षर करें।
4) निरीक्षण और बिल जांच जनपद के उपयंत्री/सहायक यंत्री या PHE उपयंत्री या जल निगम के उप-प्रबंधक करेंगे; फिर पंचायत भुगतान करेगी।

भाग 5

डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग

1. जल रेखा पोर्टल

- इसमें गांव की हर पाइप लाइन, टंकी, स्रोत और उपचार संयंत्र का पूरा नक्शा (GIS आधारित) दर्ज होगा - यह काम क्रियान्वयन संस्थाएं करेंगी।
- इसी जानकारी का इस्तेमाल करके पंचायत लघु मरम्मत, वृहद मरम्मत और नए पूंजीगत काम की योजना बनाएगी।
- पंचायत, जनपद और जिला - तीनों स्तर पर धारा (मात्रा) और निर्मल (गुणवत्ता) मॉड्यूल में रोज की जानकारी दर्ज होगी।

2. पंचायत दर्पण पोर्टल

पंचायत, जनपद और जिला - तीनों इसी पोर्टल से पानी के बिल और वसूली की वास्तविक समय में निगरानी करेंगे। बिल बनाना, पैसा जमा करना और बल्क जल प्रभार भरना - यह सब इसी पोर्टल से होगा |

भाग 6

व्यावहारिक कार्य-साधन एवं संदर्भ सामग्री

जरूरी संपर्क (भरने के लिए)

अपने क्षेत्र के अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष क्रमांक भरकर पंचायत भवन में प्रदर्शित करें। यह भी अनुशंसित है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के नाम की भांति वॉल्व-सह-पम्प ऑपरेटर का नाम एवं संपर्क भी ग्राम पंचायत सूचना पटल (GPP) पर प्रदर्शित किया जाए।

विषय	जिम्मेदार इकाई	नाम	मोबाइल न.
तकनीकी मंजूरी (मरम्मत)	उपयंत्री/सहायक यंत्री - जनपद/RES/PHE		
वृहद मरम्मत एजेंसी सूची	जिला वॉश तकनीकी समिति (जिला पंचायत)		
पानी की जांच (जिला लैब)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
समूह योजना बल्क बिल/मदद	म.प्र. जल निगम / PHE		
स्रोत सुरक्षा/नुकसान नोडल	उपयंत्री/सहायक यंत्री (CEO जनपद द्वारा नामांकित)		
एजेंसी-पंचायत विवाद	जनपद वॉश तकनीकी समिति		

जानकारी: सरपंच, ग्राम पंचायत और पानी समिति का हर सदस्य, जो इन नियमों के तहत काम करता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अर्थ में लोकसेवक माना जाएगा।

याद रखें :

1. योजना अब ग्राम की अपनी है - इसका संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत तथा ग्रामवासियों का उत्तरदायित्व है।
2. प्रबंधन एक सतत चक्र है - जल प्रदाय करें, देखभाल करें, गुणवत्ता जांचें, बिल भेजें, वसूली करें, व्यय एवं लेखा रखें।
3. यह मिल-जुलकर संचालित होती है - ग्राम पंचायत, पानी समिति, ऑपरेटर और उपभोक्ता, ये चारों अपरिहार्य हैं।
4. नियमित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक है - समय पर बिल वसूली ही योजना को सुचारु बनाए रखती है।
5. छोटी खराबी की तुरंत मरम्मत कराएं - विलंब होने पर वही बड़ी एवं अधिक व्ययसाध्य बन जाती है।
6. पानी की जांच कभी नियमित रूप से करें - स्वच्छ पेयजल ही योजना का मूल उद्देश्य है।
7. सहयोग हेतु जनपद/जिला वॉश समिति, PHE, जल निगम और RES हैं।

नोट्स

tri

Transform
Rural
India